न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 22/2017 **दायरा दिनांक : 16.01.2017**

उनवान

मानसिंह उम्र 50 वर्ष आत्मज गंगाराम, जाति राजपूत, निवासी कबीरी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– बशनबाई उम्र 68 वर्ष बेवा इन्दर सिंह, जाति राजपूत, निवासी कबीरी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– करण सिंह उम्र 70 वर्ष आत्मज कालू सिंह, जाति राजपूत, निवासी कबीरी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3– नारायण सिंह उम्र 40 वर्ष आत्मज चन्दर सिंह, जाति राजपूत, निवासी कबीरी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4– गोकुल सिंह उम्र 35 वर्ष आत्मज चन्दर सिंह, जाति राजपूत, निवासी कबीरी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

5– तुलसाबाई उम्र 60 वर्ष पुत्री गंगाराम, जाति राजपूत, निवासी कबीरी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

6– लामू बाई उम्र 42 वर्ष पुत्री गंगाराम, जाति राजपूत, निवासी कबीरी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

7– उम्मेद बाई पुत्री गंगाराम, जाति राजपूत, निवासी कबीरी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ मृतका जर्ये कायम मुकामान :–

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

7/1– तोफान सिंह पुत्र मानसिंह, जाति राजपूत, निवासी गेरूखेड़ी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

7/2– जस्सू बाई पुत्री मानसिंह पत्नी नारायण सिंह, निवासी गोपाखेड़ी, तहसील सुवासडा, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश

8– भगवान सिंह आत्मज शंकर सिंह, जाति राजपूत, निवासी कबीरी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

9– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.10.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 89/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट पेश कर कथन किया कि ग्राम करीबी, तहसील गंगधार में इन्दरसिंह आत्मज करण सिंह, जाति राजपूत के खाते में (अ) जमाबंदी संवत 2070–2073 खाता संख्या 7 खसरा नम्बर 319 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 383 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 384 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 389 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 637 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 641 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 656 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

657 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 658 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 659 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 662 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 663 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 664 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 665 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 666 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 674 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 675 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुल 17 किता कुल रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा एवं **(ब)** जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 110 में 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्सा इन्दरसिंह आत्मज करण सिंह खसरा नम्बर 145 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 338 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 340 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 343 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 344 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 346 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 348 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 350 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 360 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 501 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 610 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 612 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 613 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 633 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 651 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 660 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 661 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 692 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 18 कुल रकबा 25 बीघा 3 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त आराजी इन्दर सिंह आत्मज कालू सिंह के खाते की आराजी रही है जिनका देहान्त हो गया है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादी व कालू सिंह के पुत्र करण सिंह व चन्दर सिंह के पुत्र नारायण सिंह का है, मानसिंह व भगवान सिंह पुत्र शंकर सिंह, जाति राजपूत, निवासी करीबी ने ही चन्दर सिंह की सेवा चाकरी की है। वादी अपीलांट के दादा कालू सिंह थे। इन्दरसिंह के कोई औलाद नहीं थी उनके जीवनकाल में उनकी सेवा चाकरी अपीलांट वादी और भगवान सिंह आत्मज कालू सिंह ने की थी, उनके हिस्से की आराजी पर कब्जा वादी का ही चला आ रहा है तथा खेती–बाड़ी भी अपीलांट वादी ने ही की है। वाद चरण (ब) में दर्ज वादग्रस्त आराजी में इन्दर सिंह के खाते व हिस्से की भूमि पर वादी का कब्जा लगातार

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ऐलानिया साधिकार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादी इन्दर सिंह के हिस्से वाली भूमि का भी खातेदार हो गया है जिसकी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद चरण (अ) में दर्ज वादग्रस्त आराजी में कालू सिंह के सभी पुत्र गंगाराम, चन्दरसिंह, इन्दरसिंह, करण सिंह सभी का बराबर–बराबर हिस्सा निहित है और चारों अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। गंगाराम और चन्दरसिंह की मृत्यु के बाद उनके वारिसान काबिज काश्त है। इन्दरसिंह ने सभी भाइयों के हिस्से को ध्यान में रखते हुए अपने जीवनकाल में वाद चरण (अ) में दर्ज वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में दिनांक 20.04.2005 को रूबरू गवाहान एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा उप–पंजीयक, डग के कार्यालय में तस्दीक करवाया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी उनकी मृत्यु के बाद उनके भाइयों को उनके हिस्से अनुसार देने की बात कही है तथा इन्दरसिंह के हिस्से में आयी 1/4 हिस्से की भूमि जो 5 बीघा 7 बिस्वा बनती है की वसीयत प्रतिवादी नम्बर 8 के पक्ष में की है ताकि उनकी देखभाल सेवा चाकरी सही प्रकार से हो सके । वाद चरण (अ) में दर्ज वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से पर वादी लगातार ऐलानिया साधिकार शांतिपूर्वक काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा इन्दरसिंह की वसीयत दिनांक 20.04.2005 के अनुसार भी खातेदार कृषक हो गया है, जिसकी घोषणा प्राप्त करने का वादी अधिकारी है। ग्राम पंचायत द्वारा फौती नामान्तरकरण संख्या 379 तस्दीक करते वक्त ग्राम पंचायत द्वारा वादी के कब्जे व इन्दर सिंह द्वारा की गई रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 20.04.2005 को नजर–अन्दाज कर प्रतिवादी नम्बर 1 से मिलकर उसके पक्ष में तस्दीक कर दिया। नामान्तरकरण संख्या 379 वादी के हितों के विरूद्ध प्रभाव शून्य है तथा इससे वादी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। फौती नामान्तरकरण संख्या 379 के द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम गलत तरीके से वादग्रस्त आराजी में दर्ज हो जाने के कारण प्रतिवादी नम्बर 1 वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने के आशय से वादग्रस्त आराजी को बेचान करने व खुर्द बुर्द करने पर उतारू हो रही है जिसमें अगर वह सफल हो गई तो वादी को अपरीमित क्षति होगी तथा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वादी के पास रजिस्टर्ड वसीयत है और वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा भी है इस कारण वादी का ठोस प्रकरण है तथा सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में है। वादी प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं न्याय के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का दावा आंशिक रूप से डिक्री कर मुताबिक रेकार्ड खाता संख्या 110 किता 18 रकबा 25 बीघा 3 बिस्वा आराजी के मामले में बंटवारे का आदेश पारित करने एवं खाता संख्या 7 नया एवं 8 पुराने की कुल 17 किता की 20 बीघा 16 बिस्वा आराजी के मामले में कोई आदेश जारी नहीं करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के कानूनी प्रावधानों के विपरीत राजस्व लोक अदालत केम्प हरनावदा में निर्णय एवं डिक्री पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य, अपना दावा सिद्ध करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया और बिना साक्ष्य के ही केवल पूछताछ के आधार पर और बिना आधार के फाईडिंग देकर निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण है। वादग्रस्त आराजी इन्दरसिंह आत्मज कालू सिंह के खाते की आराजी है। इन्दर सिंह के कोई औलाद नहीं होने के कारण इनकी अवेर–सवेर वादी एवं रेस्पोडेंट क्रम 8 भगवान सिंह ने ही की थी और इन्दर सिंह के समय से ही अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है और इन्दर सिंह की मृत्यु के बाद कोई विवाद न हो इसलिए इन्दर सिंह ने विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 637, 641, 658, 666 की कुल 10 बीघा 14 बिस्वा में से 1/2 भाग की वसीयत लिखवा कर दिनांक 20.04.2005 को उप–पंजीयक, डग के कार्यालय में पंजीकृत करवा दी थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत पर कोई गौर नहीं कर अवैधानिक निर्णय पारित किया है। खातेदार इन्दर सिंह की मृत्यु के बाद फौती नामान्तरकरण नम्बर 379 ग्राम पंचायत द्वारा वसीयत

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनांक 20.04.2005 को नजर–अन्दाज कर तस्दीक किया गया है जिसके आधार पर रेस्पोडेंट कम 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, उक्त नामान्तरकरण वादी व रेस्पोडेंट कम 8 के विरूद्ध बहस सुनने योग्य था इस बिन्दु को भी अधीनस्थ न्यायालय ने नजर–अन्दाज किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2016 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह प्रकरण में मृतक उम्मेद बाई के कायम मुकामान को रेकार्ड पर लेकर एवं प्रतिवादीगण का जवाबदावा लेकर तनकीयात कायम कर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर नियमानुसार निर्णय पारित करें ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.11.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट को जवाब दावा पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय की आर्डरशीट दिनांक 30.03.2016 में बार द्वारा कार्य स्थगन के कारण पत्रावली दिनांक 04.05.2016 को पेश हो, परन्तु दिनांक 04.05.2016 को पत्रावली पेश न होकर सीधे ही दिनांक 30.05.2016 को पेश हुई और दिनांक 04.05.2016 का भी कोई कारण अंकित नहीं किया गया है । दिनांक 30.05.2016 को प्रकरण में अधीनस्थ

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलांट को जवाब, साक्ष्य पेश करने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पत्रावली में कहीं पर भी उभयपक्षकारान द्वारा सहमति या राजीनामा सलंग्न नहीं है। अतः हम प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवायी कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करें । उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.01.2023 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/10/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा